

कार्यालय मुख्यविकास अधिकारी श्रावस्ती।

पत्रांक : सीडीओ / कोविड-19 / 2020-21 / 5916-23

दिनांक 23.07.2020

सेवा में,


1. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी।
3. अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, श्रावस्ती।
4. सहायक संभागीय परविहन अधिकारी श्रावस्ती।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद श्रावस्ती।

विषय : कोविड-19 एवं इसके संक्रमण के रोकथाम हेतु पंचायत स्तर की बैठकों व कार्यालयों में धूम्रपान, पान-मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग एवं थूकने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

जैसा कि आप अवगत हैं कि देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी का रूप लिया हुआ है जिसके संक्रमण से पूरा विश्व ग्रसित है। इसके रोकथाम के लिए समय-समय पर केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं जिसमें तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतया प्रतिबन्धित है। पूर्व में भी मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 786 / तीन-18-06(09)18 दिनांक 12.10.2018 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जा चुका है तथा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबन्ध करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

अतः कोरोना वायरस (कोविड-19) को ध्यान में रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, व ग्राम पंचायतों की बैठकों व कार्यालयों में धूम्रपान, पान मसाला, खैनी आदि सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के उपयोग व थूकने पर प्रतिबन्धित लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


मुख्य विकास अधिकारी,
जनपद श्रावस्ती।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदया को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी निदेशक, यू०पी०वी०एच०ए०, लखनऊ।


मुख्य विकास अधिकारी,
जनपद श्रावस्ती।

कार्यालय मुख्यविकास अधिकारी श्रावस्ती।

पत्रांक : सीडीओ / कोविड-19 / 2020-21 /

दिनांक 23.07.2020

सेवा में,

1. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी।
3. अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, श्रावस्ती।
4. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्रावस्ती।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद श्रावस्ती।

विषय : कोविड-19 एवं इसके संक्रमण के रोकथाम हेतु पंचायत स्तर की बैठकों व कार्यालयों में धूम्रपान, पान-मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग एवं थूकने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत हैं कि देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी का रूप लिया हुआ है जिसके संक्रमण से पूरा विश्व ग्रसित है। इसके रोकथाम के लिए समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं जिसमें तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतया प्रतिबन्धित है। पूर्व में भी मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 786/तीन-18-06(09)18 दिनांक 12.10.2018 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जा चुका है तथा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबन्ध करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

अतः कोरोना वायरस (कोविड-19) को ध्यान में रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, व ग्राम पंचायतों की बैठकों व कार्यालयों में धूम्रपान, पान मसाला, खैनी आदि सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के उपयोग व थूकने पर प्रतिबन्धित लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी,
जनपद श्रावस्ती।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार/ 5916-23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदया को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी निदेशक, यू०पी०वी०एच०ए०, लखनऊ।

मुख्य विकास अधिकारी,
जनपद श्रावस्ती।